रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931

No. 183] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

सं. भा.आ.प.-34(41)/2009-मेडि./39199.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" में पुन:संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना (संशोधन) विनियमावली, 2009" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. शीर्षक '3. अर्हता मानदंड' पैरा 1(1) के अंतर्गत "भाग-I: 'किसी मेडिकल कालेज या संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की योजना" में—आयुर्विज्ञान स्नातक तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए मेडिकल कालेज/संस्थान को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"आयुर्विज्ञान स्नातक तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए मेडिकल कालेज/संस्थान को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए तथापि, ऐसे मेडिकल कालेज/संस्थान, एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान करने हेतु जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, वे तीसरे नवीकरण के समय अर्थात् एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ, शरीर-रचना विज्ञान, शरीर-क्रिया विज्ञान, जीव-रसायन विज्ञान, औषध विज्ञान, रोग-विज्ञान, सूक्ष्म-जीव विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन एवं कम्युनिटी मेडिसिन के प्री-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली नामत: "अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियमावली, 2000" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 14 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 34 (41/2000-मेड (ii) के दिनांक 7 अक्तूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2009

No. MCI. 34(41)/2009-Med./39199.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000" namely :—

1. (i) These regulations may be called "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) (Amendment) Regulations, 2009".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000", the following additions/modifications/deletions/ substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In "Part-I : Scheme for permission of the Central Government for opening of a new or higher course of study or Training (including a Postgraduate Course of Study or Training) in a Medical College or Institution", under the heading '3. Qualifying Criteria', para "1 (1) —The medical college/ institution must be recognized by the Medical Council of India for running Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery/Postgraduate Course", shall be substituted by the following :—

"The medical college/institution must be recognized by the Medical Council of India for running Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery/Postgraduate Course; however, the Medical College/Institute which is not yet recognized by the Medical Council of India for the award of MBBS degree may apply for starting of a Postgraduate Course in pre-clinical and para-clinical subjects of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Pathology, Microbiology, Forensic Medicine and Community Medicine at the time of third renewal—i.e. along with the admission of fourth batch for the MBBS course."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09-Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "The Opening of a New or Higher Course of Study or Training (including Post Graduate Course of Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Post Graduate Course of Study or Training) Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th October, 2000 *vide* Medical Council of India Notification No. 34(41)/2000/Med., dated the 14th August, 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notifications dated the 29th July, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.